तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07-4-2022

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 49/2022 (2022/153) अनवान जोधाराम बनाम सुठाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

पत्रावली पेश हुई है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नम्बर 33/1 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा आई हुई है। जिस पर बहैसियत खातेदार के प्रार्थी मालिक काबिज काश्त है जिसकी राजस्व नक्शे में भी तरमीम दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 33 व 32/1 की कृषि भूमि आई हुई है। जो कि अप्रार्थी संख्या एक की कृषि भूमि है। प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 33/1 की कुल रकबा 33.17 बीघा कृषि भूमि की राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम अनुसार नक्शे अनुसार सीमाओं का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थी ने तहसीलदार लूणी के समक्ष सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश में गठित टीम द्वारा दिनांक 27.05.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर खातेदार द्वारा आपसी सहमती से स्थाई मुटाम लगा दिये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने खसरा नम्बर 33/1 व 32/1 की तरमीम अनुसार मौके पर स्थाई मुटाम लगाने में विवाद उत्पन कर अतिक्रमण कर दिया। इस वजह से खसरा नम्बर 32/1 व 33/1 के मध्य मुटाम स्थापित नही हो सके। अतः निवेदन है कि ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नम्बर 33/1 की कुल रकबा 33.17 बीघा कृषि भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.05.2022 अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी के भाई गिरधारी व सीमाराम पि. मोडाराम की मोहनलाल पुत्र केवल जी दर्जी निवासी सालावास तहसील लूणी से वर्ष 1957 में खरीद शुद्वा कब्जा व काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 32 ग्राम सालावास तहसील लूणी में स्थित है। खसरा नम्बर 32 व 32/1 की कुल भूमि मौके पर वक्त सेटलमेन्ट से वास्तविक रूप से 99.16 बीघा चली आ रही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश खसरा नम्बर 32 की भूमि 88.04 बीघा यानि 14.2772 हैक्टयर दर्ज चली आ रही है। मौके पर शुरू से ही वास्तविक रूप से 99.16 बीघा पर कब्जा चला आ रहा है। खातेदार मोहनलाल पुत्र केवल जी का कब्जा व काश्त की कुल भूमि रकबा 99.16 बीघा पर चला आ रहा था। उक्त भूमि रकबा 99.16 वर्ष 1957 में मोहनलाल पुत्र केवल जी द्वारा अप्रार्थी व गिरधारीराम द्वारा निष्पादित बैचाननामें में खसरा नम्बर 32 का नाप राजस्व रेकर्ड अनुसार 88.04 बीघा ही अंकित किया गया था। वक्त खरीद वर्ष 1957 से अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाई गिरधारीराम का कब्जा एवं काश्त 99.16 बीघा भूमि पर निरन्तर रूप से बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के शान्ति पूर्वक तरीके से अप्रार्थी व प्रार्थी के चला आ रहा है। तहसीलदार द्वार पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 की पालना में हल्का पटवारी सालावास द्वारा गलत रूप से प्रार्थी जोधाराम से साठं गाठ करते हुये तैयार की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी के विरूद्व माननीय न्यायालय में एक राजस्व मूल दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिनुसार प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक व उसके भाई गिरधारीराम को जिनका वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1957 से कब्जा चला आ रहा है के कारण प्रति कूल कब्जे के आधार पर जिन्हे धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि से कानूनन बेदखल नही किया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे सहित खारीज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार लूणी के जवाब के सलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 अनुसार नजरी नक्शे में ABCD अनुसार खसरा नम्बर 33/1 खातेदार जोधाराम पुत्र पेमाराम की कृषि भूमि है परन्तु उक्त ABCD कृषि भूमि पर खसरा नम्बर 32/1 के खातेदार सुठाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी पाल ने बाड़ व तारबंदी कर अवैधानिक गैर कानूनी रूप से कब्जा होना बताया गया।

बहस सूनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के जवाब एंव अप्रार्थी संख्या दो के जवाब का विस्तृत अध्ययन एंव विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 33/1 रकबा 5.4794 हैक्टयर पर प्रार्थी का वास्तविक कब्जा नही होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या एक जिन्हे धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त भूमि से कानूनन बेदखल नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी